

हिराकुड जलाशय की जैव-विविधता का संरक्षण

प्रेम कुमार एवं डॉ.बी, मीनाकुमारी

महानदी के तट पर हीराकुड जलाशय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। भौगोलिक दृष्टि से यह 210 31' उत्तर, 850 10' पूर्व तथा 210 45' उत्तर, 83 पूर्व के मध्य स्थित है। महानदी तट पर "महानदी" के बाद "ईब" नदी का स्थान आता है तथा शिव नाथ, जोक, हासदो, आँग एवं तेल इस तट की सहायक नदियाँ हैं। हिराकुड जलाशय का कुल क्षेत्रफल 71,400 हेक्टर है (राधाक य एवं राव, 1984) तथा झिगरन (1983) के अनुसार 74,592 हो गया है। विशाल जलाशय से मुख्यतः सिंचाई, नगरीय जलपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन किया जाता है। परन्तु अथाह जल संपदा में मात्स्यकी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जलाशय निर्माण के समय हज़ारों परिवारों को अपने गाँव, घर तथा कृषि भूमि से वंचित होना पड़ा था क्योंकि यह सब जलाशय की परिधि पर 100-150 परिवार समूह के रूप वर्ग है जिनकी जीविका का मुख्य साधन मात्स्यकी है। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में हिराकुड जलाशय का मत्स्य उत्पादन अपनी चरम सीमा पर था। उस समय जलाशय की उत्पादकता 11 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर रिकोर्ड की गयी जो कि अधाधुंध प्रतिबंधित जालों के प्रयोग से शनै-शनै: घटकर 2000-2001 में 3.1 कि. ग्रा तक आ पहुँची। प्रस्तुत लेख में हिराकुड की निम्न उत्पादकता तथा जैव-विविधता को खतरे के कारणों तथा भविष्य में वर्तमान दशा की क्षतिपूर्ति तथा उत्पादकता को बढ़ाने के सुझावों को उजागर करना है।

मत्स्य संसाधन : जॉब आदि (1995) ने महानदी तट का मत्स्य सर्वेक्षण किया और पाया कि जलाशय निर्माण से पहले 183 मत्स्य प्रजातियाँ थीं (1982) उन्होंने अपनी पुस्तक "फिशिंग इन इमपाऊंडिंग वाटर" में 43 मत्स्य

प्रजातियों का उल्लेख किया है जिनमें से 13 प्रजातियों को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। जलाशय में "कैट फिश" निस्थस सिंपाला, मि ऑर, रीता क्राईसिया एवं सलिलोनिया सिलौंडिया मुख्य हैं जो कि प्रग्रहण का 40-50% हैं। इसके बाद कार्प, लेवियो सिमाब्रियेरस लेवियो कालबासू सिरहिनस गिगला, लोबिया रोहिता एवं कतला कुल प्रग्रहण का 15-18% तथा बाकी छोटी विविध मछलियाँ हैं।

उत्पादकता एवं शक्यता: राघवाकरिस एवं राव (1984) तथा वर्गीज़ आदि (1992) के अनुसार हिराकुड जलाशय की उत्पादकता वर्ष 1978 में 750 मि.टन. थी। राज्य मत्स्य विभाग के अनुसार 1991-92 में उत्पादन 380 मि.टन, 1993-94 में 426 मि.टन तथा 1996-97 के 267 मिलीयन से घटकर 2000-2001 में 235 मिलीयन टन रह गया। खान आदि (1982) के अनुसार जलाशय का उत्पादन 1071 मिट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान उत्पादन शक्यता लगभग 22% है। जबकि राज्य में जलाशयों की उत्पादकता 57% बतायी गयी है। हिराकुड जलाशय में मत्स्य संसाधनों का समुचित दोहन न होने के अनेक कारण आगे दिये गये हैं।

1. विनाशक जालों का प्रयोग : महानदी तट पर क्लोमजाल (गिल नेट), धधुरिया जाल (काम्ट नेट) पिजंरा (ट्रेपस), कांटा डोर (हुक एंड लीन) तथा खिंचाव जाल (ट्रेग नेट) आदि का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर मछुवारे बहुत गरीब हैं। इसलिए वे उत्कृष्ट जाल का खर्चा वहन नहीं कर सकते। जाल अधिकतर ठेकेदारों द्वारा मछुवारों को कर्ज बतौर दिये जाते हैं जिसके बदले मछुवारों को मछली



◆ जलधि

कम कीमत पर ठेकेदारों को बेचनी पड़ती है। ठेकेदारों द्वारा बनाये गये जालों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन जालों का कण आकार इतना छोटा होता है कि येक मछलियाँ भी पकड़ में आ जाती हैं। राज्य मत्स्य विभाग के अनुसार छोटी मछलियों का प्रतिशत 35 होता है। इन मछलियों में आर्थिक महत्व की येक मछलियों के साथ चारा मछलियाँ (फोरेज फिश) होती हैं। मुख्य मछलियों की संख्या में कमी तथा खाद्य श्रृंखला का विधरन ही मत्स्य उत्पादकता में कमी का मुख्य कारण है।

सहकारी समितियों के प्रमुख तथा मछुवारों से विचार-विमर्श करने से यह पता चला कि ये लोग भविष्य के सुपरिणामों को जानते हुए भी यह काम इसलिए बन्द नहीं कर पाते क्योंकि उनमें “मैं नहीं तो कोई और---” की भावना घर कर गयी है।

2. मत्स्य प्रबन्धन कानून का अभाव : राज्य मत्स्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अभी तक मत्स्य कानून नहीं है जिसके चलते जलाशय में प्रजनन के समय (जुलाई-सितम्बर) में भी प्रग्रहण क्रिया जाता है जबकि अन्य राज्यों में सामान्यतः प्रतिबंध होता है। मेजर कार्प वर्षा ऋतु में प्रजनन के लिए नदियों के भुटाने की ओर प्रवास करता है उसी समय मछुवारे क्लोमजाल से ऋतुओं श्रुडरों को पकड़ लेते हैं। रही-सही मछलियाँ ही प्रजनन कर पाती हैं और बाद में चेक मछलियाँ (ध्राई, एडवॉंस फिंगर लिंग और फिंगरलिंग) मछुवारों द्वारा मच्छरदाना जाल से पकड़ ली जाती हैं। ये शिशु मछलियाँ या तो मत्स्य कृषकों को बीन के रूप में बेच दी जाती हैं या ताजा या धुएँ में सुखाकर खाने के लिए नहीं के बराबर दाम पर बेच दी जाती हैं।

3. मत्स्य प्रग्रहण में बाधा : जलाशय निर्माण के समय 240 गांव पानी में डूब गये थे-खान आदि (1992) तथा जलाशय की अधिकतर तली पथरीली है। इस प्रकार की रुकावटों के चलते अधिकतर क्षेत्र प्रग्रहण से अछूता है। राज्य मत्स्य विभाग के अनुसार जलाशय का 40-50% भाग जलमग्न गाँव तथा पेड़ों से घिरा है और केवल 17%

क्षेत्र ही मत्स्य प्रग्रहण की दृष्टि से अनुकूल माना गया है। यदि इस बाधित क्षेत्र में भूल से भी जाल डाल दिया जाये तो जाल पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

उत्पादन बढ़ाने तथा जैव-विविधता संरक्षण के लिए सुझाव:

हिराकुड जलाशय में निम्न स्तरीय उत्पादन तथा जैव-विविधता को खतरे के मदे नजर रहते हुए जलाशय प्रबन्धन के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं जिनसे उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ जैव-विविधता भी कायम रखी जा सके।

1. राज्य सरकार को मत्स्य प्रबंधन कानून बनाकर सख्ती से लागू करना चाहिए। कानून में जाल कम आकार पर काबू तथा प्रजनन के समय मत्स्य-प्रग्रहण क्रियाएं पूरी तरह प्रतिबंधित की जानी चाहिए।
2. अनुभवों से पाया है कि जलाशय के चारों ओर बसा मछुवारा वर्ग बहुत गरीब है और यदि प्रजनन के समय भी प्रग्रहण न करें तो जीविका चलाने में उन्हें कठिनाई होगी। अतः मछुवारों में मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, कुकुरमुत्ता पालन जैसे लघु उद्योगों को अपनाने के लिए कृषि विभाग को जागृति पैदा करनी चाहिए तथा उद्योग चलाने के लिए राज्य सरकार को अर्थिक मदद करनी चाहिए।
3. जलाशय की फिर से उत्पादकता बढ़ाने के लिए बाहर से मत्स्य संग्रहण करना चाहिए जिससे जलाशय को हुई क्षति की पूर्ति हो सके।
4. जलाशय के बाधित क्षेत्रों को प्लवकों द्वारा चिह्नित करना चाहिए जिससे जालों की अनावश्यक क्षति को रोका जा सके।
5. केन्द्र तथा राज्य मत्स्य विभागों तथा अनुसंधान केन्द्रों को मिलकर मछुवारों में अतिदोहन के प्रति जागृति पैदा करनी चाहिए जिससे वे इस भविष्य निधि को सुरक्षित रख सकें। अनुसंधान केन्द्रों के प्रसार कार्यक्रमों को



अधिक प्रभावी बनाना चाहिए जिससे प्रग्रहण की उत्कृष्ट एवं आधुनिक विधियों को मछुवारों तक पहुँचाया जा सके ।

निष्कर्ष:

प्रजनन समय में प्रग्रहण पर प्रतिबंध होने से हिराकुड जलाशय की उत्पादकता का अध्ययन हो रहा है जिसके चलते जलाशय की जैव-विविधता को खतरे की घंटी माना

जा सकता है । जलाशय की उत्पादकता शनैःशनैः कम हो रही है और कुछ मुख्य मछलियाँ लुप्त होने के कारण पर आ गयी हैं । इसलिए राज्य सरकार को “मीठा जल मत्स्य कानून” सख्ती से लागू करना होगा तथा मछुवारों में भविष्य के दुष्परिणामों के प्रति जागृति पैदा करनी होगी जिससे जलाशय की चरम उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ जैव-विविधता को संरक्षित किया जा सके ।



सीखी बातें जो जता नहीं पाता
वह खुशबूहीन फूलों का गुच्छा है ।

तिरुक्कुरल

